

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 11.07.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 285/26 धारा-318(4) 308(2)/111(1) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सूरज पुत्र हरिमोहन 2.राजेश पुत्र जगदीश सिंह निवासी गण ग्राम ज्योतिष थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 159/2026 धारा-318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.शिवम पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम कैलाश नगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष, 2.रजनीश सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम विजय नगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 22 वर्ष 3.हरिओम पुत्र रामप्रताप निवासी ग्राम चन्द्रनगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष 4.राहुल सिंह पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम फत्तेपुर रोशनाई थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष 5.गोरे पुत्र स्व0 राजन सिंह निवासी ग्राम विजय नगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अ0सं0 0114/2026 धारा-317(2)/318(4)/308(1) BNS व 66 D आई.टी.एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अंकित चौहान पुत्र आलोक निवासी आर्य नगर प्रथम थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 18 वर्ष 2.सर्वेश पुत्र आलोक चौहान निवासी आर्य नगर प्रथम थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष 3.जय सिंह उर्फ चुम्मी पुत्र राजित उर्फ संजीत निवासी आर्य नगर प्रथम थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 26 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।